न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा

पीठासीन अधिकारी–देवेन्द्र कुमार
आई0ए0एस0

प्रा0पत्र स्थानान्तरण सं0 45/2025

मिथलेश कुमारी पत्नि सुरेश चन्द जाति मीना निवासी हल्देना तहसील मण्डावर जिला दौसा राज

....प्रार्थी

बनाम

1. अमित कुमार वर्मा उपखण्ड अधिकारी मण्डावर जिला दौसा
2. भरतलाल पुत्र रामहेत
3. कजोडी पुत्र रामहेत
4. खुशीराम पुत्र रामप्रसाद
5. सियाराम पुत्र रामप्रसाद
6. रामदीन पुत्र रामप्रसाद
7. सम्पत्ति पत्नि स्व. रामप्रसाद
8. उगन्ती पुत्री रामप्रसाद जाति मीना नि हल्देना हाल पत्नि रतनलाल नि. बिबाई जिला दौसा
9. गोरधनी पुत्री रामप्रसाद जाति मीना नि हल्देना हाल पत्नि घमण्डी जाति मीना नि. बिबाई जिला दौसा
10. धनवन्ती पुत्री रामप्रसाद जाति मीना नि.हल्देना हाल पत्नि मिश्रीलाल जाति मीना नि. निठार तहसील भुसावर जिला भरतपुर
11. बनाशपति पुत्री रामप्रसाद जाति मीना नि. हल्देना हाल पत्नि कमलेश निवासी भोपुर तहसील महवा जिला दौसा
12. राज. सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार मण्डावर
13. उपपंजीयक मण्डावर जिला दौसा

.....अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण अन्तर्गत वाद पत्र संख्या 99/2022 मुकदमा उनवानी भरतलाल बनाम मिथलेश न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर जिला दौसा आगामी तारीख पेशी 03–06–2025

उपस्थित : 1. श्री रिद्धी चंद शर्मा, अधिवक्ता प्रार्थी।
2. श्री नरेन्द्र कुमार शर्मा, अधिवक्ता अप्रार्थी सं0 2,3,5,6
3. श्री राजेश कुमार शर्मा, राजकीय अधिवक्ता

–:: निर्णय ::– दिनांकः 17.11.2025

1. संक्षिप्त में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी द्वारा न्यायालय उप जिला कलक्टर मंडावर में विचाराधीन वाद उनवानी भरतलाल बनाम मिथलेश आदि, प्रकरण संख्या 99/22 को किसी भी दीगर उप जिला कलक्टर के न्यायालय में सुनवाई हेतु स्थानांतरित करने हेतु प्रार्थना पत्र स्थानांतरण पेश किया गया है।
2. स्थानान्तरण प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण की तलबी की गई। उप जिला कलक्टर मंडावर से टिप्पणी मंगवाई गई। उपस्थित अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।
3. अधिवक्ता प्रार्थी ने स्थानान्तरण प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष दावा उनवानी प्रकरण भरतलाल बनाम मिथलेश मुकदमा वाद संख्या 99/2022 विचाराधीन है। जिसमें वादी द्वारा खसरा सं. 552 रकबा 0. 43 हेक्टे, 520 रकबा 0.05 हेक्टे.. 521 रकबा 0.06 हेक्टे., 522 रकबा 0.07 हेक्टे 523

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.12.17 12:48:21 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर, दौसा

रकबा 0.09 हेक्टे, 531 रकबा 0.41 हेक्टे., 532 रकबा 0.34 हेक्टे, 549 रकबा 0.22 हेक्टे, 550 रकबा 0.01 हेक्टे, 551 रकबा 0.47 हेक्टे, 586 रकबा 0.23 हेक्टे., 715 रकबा 0.28 हेक्टे., 815 रकबा 0. 45 हेक्टे,, 816 रकबा 0.73 हेक्टे, 818 रकबा 0.25 हेक्टे,, 819 रकबा 1.07 हेक्टे, 820 रकबा 2.24 हेक्टे.. 821/1567 रकबा 0.33 हेक्टे., 829 रकबा 0.53 हेक्टे.. कुल किता 18 कुल रकबा 7.83 हेक्टे, वाकै ग्राम हल्दैना तहसील मण्डावर जिला दौसा का तकास्मा मौके पर कब्जे अनुसार किये जाने का वाद अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया है। अधिनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी अप्रार्थी सं० 1 उक्त प्रकरण का फैसला अप्रार्थीगण के पक्ष में करने पर आमादा है। अधिनस्थ न्यायालय ने उपरोक्त उनवानी प्रकरण में दिनांक 07-02-2025 को प्रकरण को प्राथमिक डिक्री करते हुए कूरेजात तलब किये गये जिस पर तहसीलदार मण्डावर द्वारा दिनांक 27-02-2025 को कूरेजात बिना मौके पर गये मात्र ऑफिस में बैठकर तैयार कर अधिनस्थ उपखण्ड अधिकारी मण्डावर के न्यायालय में प्रस्तुत कर दिये जिसका स्पष्ट प्रमाण यह है कि उक्त कूरेजात रिपोर्ट कम्प्यूटर से तैयार की गई है जिसकी आपत्ति प्रार्थीया द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है। गत तारीख पेशी दिनांक 20-05-2025 को प्रार्थीया द्वारा उक्त कूरेजात के संबंध में आपत्ति प्रार्थना पत्र अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया परन्तु प्रार्थीया ने देखा कि अप्रार्थी भरतलाल एस डी ओ मण्डावर के न्यायालय परिसर के पास ही स्थित आवास से निकलकर आ रहा है एवम् कुछ समय पश्चात ही एस डी ओ मण्डावर न्यायालय के चैम्बर में आकर बैठे एवं प्रार्थीया की पत्रावली में आवाज लगवाई व प्रार्थीया से कहा कि तुम कितनी ही आपत्ति लगा लो तुम्हारी सभी आपत्तियों को खारिज करूंगा और सडक किनारे की भूमि को अप्रार्थी को ही विभाजन में दूंगा। भले ही तुम्हारा पुख्ता डण्डा व कब्जा कहीं भी हो तथा तुम्हारे पुख्ता डण्डे को भी पुलिस इमदाद से तुडवाने के आदेश कर दूंगा। उक्त भूमि से संबंधित ही एक प्रकरण संख्या 100/2022 उनवानी मिथलेश बनाम भरतलाल एसडीओ मण्डावर के समक्ष और विचाराधीन है उक्त वाद भी विभाजन का ही वाद है। कानूनन जब एक ही भूमि से संबंधित एक ही प्रकृति के विभिन्न वाद विचाराधीन होते है तो उक्त वादो को कण्सोलीडेट कर एक ही निर्णय पारित किया जाता है परन्तु अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त दोनो वादो का अलग अलग विचारण किया जा रहा है तथा दोनों में अलग अलग निर्णय पारित किये जा रहे है जो कि कानूनी प्रावधानों के विपरीत है जिससे भी अधिनस्थ न्यायालय की कार्यवाही एवं मंशा दोनो पर ही सन्देह उत्पन्न होता है । इस प्रकार प्रार्थीया को पूर्ण विश्वास हो गया है कि अधिनस्थ न्यायालय उक्त प्रकरण को कानूनी प्रावधानो व न्यायिक सिद्धान्तो के विपरीत जाकर प्रार्थी के विरूद्ध ही तय करेगा तथा प्रार्थीया को अधिनस्थ न्यायालय से न्याय की कतई कोई उम्मीद नहीं रही है। न्यायहित में उक्त प्रकरण को किसी दीगर न्यायालय में स्थानान्तरित किया जाना आवश्यक है। यदि उक्त प्रकरण को अधिनस्थ न्यायालय से किसी अन्य न्यायालय से तुरन्त स्थानान्तरित नहीं किया गया तो प्रार्थीया न्याय प्राप्ति से वंचित हो जावेगी प्रार्थीया को अपूरणीय क्षति होगी प्रार्थीया के साथ अन्याय होगा। उक्त प्रकरण को किसी दीगर न्यायालय में स्थानान्तरित किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर में विचाराधीन प्रकरण वाद पत्र संख्या 99/2022 उनवानी भरतलाल बनाम मिथलेश आगामी तारीख पेशी 03-06-2025 को किसी दीगर न्यायालय में नियमानुसार सुनवाई कर निर्णय पारित करने के निर्देश के साथ स्थानान्तरित करने के आदेश फरमावें।

4. राजकीय अधिवक्ता ने बहस में कथन किया कि प्रार्थी के प्रकरण में उपखंड अधिकारी मंडावर के द्वारा विधि के प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जा रही है। प्रार्थी ने गलत आधारों पर यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जिसे खारिज फरमाया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.12.17 12:18:21 IST
Reason: SelfAttested

Web Copy - Not Official

सत्यमेव जयते

Devendra
जिला कलेक्टर, दौसा

5. अधिवक्ता अप्रार्थी सं0 2,3,5,6 ने बहस में कथन किया कि प्रार्थीया के द्वारा गलत आधारों पर यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थिया के द्वारा अप्रार्थीगण को हैरान व परेशान करने की गरज से यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

6. उपखंड अधिकारी मंडावर से रिपोर्ट प्राप्त की गई जिसके अनुसार प्रार्थिया के द्वारा लगाये गये आरोप मिथ्या, सारहीन एवं मनगढन्त है। यदि वाद सं0 99/2022 को अन्य न्यायालय में स्थानान्तरण किये जाने में कोई आपत्ति नहीं होना अंकित किया है।

7. शेष अप्रार्थीगण के बाद तामील अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

8. हमने उपस्थित अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

9. प्रार्थी का मुख्य कथन है कि अधिनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी अप्रार्थी सं० 1 उक्त प्रकरण का फैसला अप्रार्थीगण के पक्ष में करने पर आमादा है तथा अधिनस्थ न्यायालय ने उनवानी प्रकरण में दिनांक 07–02–2025 को प्रकरण को प्राथमिक डिक्री करते हुए कूरेजात तलब किये गये जिस पर तहसीलदार मण्डावर द्वारा दिनांक 27–02–2025 को कूरेजात बिना मौके पर गये मात्र ऑफिस में बैठकर तैयार कर अधिनस्थ उपखण्ड अधिकारी मण्डावर के न्यायालय में प्रस्तुत कर दिये। इस संबंध में हमने अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 28.11.2024 का अवलोकन किया गया जिसमें प्रतिवादी भरतलाल के द्वारा आपत्ति की गई कि तहसीलदार मंडावर के द्वारा प्रस्तुत की गई कुरेजात रिकार्ड व मौके के अनुसार प्रस्तुत नहीं की गई है तथा उक्त भूमि खसरा नंबर 552 के सह खातेदारों की उपस्थिति में तैयार नहीं की गई है। उक्त आपत्ति को पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रस्तुत आपत्ति को खारिज की गई है। अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिक दिनांक 26.12.2024 का अवलोकन किया गया जिसमें अंकित किया गया है कि कुरेजात रिपोर्ट प्राथमिक डिक्री में जारी आदेशानुसार प्रस्तुत नहीं की गई है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय की दोनों दिवसों की आदेशिका में विरोधाभास है। ऐसी स्थिति में हम प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण स्वीकार योग्य समझते है।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

10. उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण स्वीकार किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय उपखंड अधिकारी मंडावर में विचाराधीन प्रकरण उनवानी मिथलेश बनाम भरतलाल मु0नं0 99/22 को न्यायालय उपखंड अधिकारी बांदीकुई को स्थानान्तरण किया जाता है। उभयपक्षकारान दिनांक 02.12.2025 को न्यायालय उपखंड अधिकारी बांदीकुई के समक्ष उपस्थित होवें। निर्णय की प्रति उपखंड अधिकारी मंडावर व बांदीकुई को प्रेषित की जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। बाद पूर्ति पत्रावली प्रविष्ठ लेख भंडार हो।

(देवेन्द्र कुमार)
जिला कलेक्टर, दौसा

निर्णय आज दिनांक [illegible] लिखाया जाकर मेरे हस्ताक्षरित एवं न्यायालय की मुद्रांकित खुले न्यायालय [illegible]या। इस निर्णय की अपील सक्षम न्यायालय में नियत समयावधि [illegible]।

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.12.17 12:18:21 IST
Reason: SelfAttested

(देवेन्द्र कुमार)
जिला कलेक्टर, दौसा